अनुदान संख्या 71 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
GRANT No. 71 - MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	17717,81,00		17717,82,00	12583,94,43	-5133,87,57
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5133,27,42
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	11,65,00		17,15,00	10,87,03	-6,27,97
पूरक	Supplementary	5,50,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6,27,95

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	98800.00	..	..	..
पु.	R.	-98800.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2810"	Major Head "2810"				
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy				
मू.	O.	1667627.00			
पू.	S.	1.00	1253528.30	1253487.27	-41.03
पु.	R.	-414099.70			

(I) ₹98801.00 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹98300.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत लेखा किया जाएगाः– "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा–ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गतः–

(I) Provision of ₹98801.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakhs obtained in February, 2024) remained wholly unutilized under four heads; of these ₹98300.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "New and Renewable Energy-Grid Interactive and Distributed Renewable Power" - under the following heads:-

(का) "सौर ऊर्जा" – ₹96300.00 लाख; और

(A) "Solar Energy" - ₹96300.00 lakhs; and

(खा) "जैव ऊर्जा कार्यक्रम" – ₹2000.00 लाख।

(B) "Bio Energy Programme" - ₹2000.00 lakhs.

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों के पुनर्विनियोग और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रह गए।

Provisions under the above two heads remanded unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2810" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुईः–

(II) Under Major Head "2810" - savings occurred under the following heads:-

(का) "ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा" –

(A) "Grid Interactive and Distributed Renewable Power" -

(क) "सौर ऊर्जा" – ₹86342.38 लाख की बचत (₹521631.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए

(a) "Solar Energy" - saving of ₹86342.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹521631.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and reduction of provision at

जाने के कारण हुई।

(ख) "जैव ऊर्जा कार्यक्रम" – ₹27109.71 लाख की बचत (₹33185.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(ग) "पवन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम" – ₹24159.09 लाख की बचत (₹95500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान के विरूद्ध) पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकासकर्ताओं द्वारा पवन उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दावे एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न करने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(घ) "सहायता कार्यक्रम" – ₹9284.52 लाख की बचत (₹22465.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से दस्तावेजों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(ङ) "हाइड्रोजन मिशन" – ₹29688.81 लाख की बचत (₹29700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को मंजूरी न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(च) "भंडारण और पारेषण" – ₹7841.00 लाख की बचत (₹42000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Bio Energy Programme" - saving of ₹27109.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33185.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Programme for Wind and other Renewable Energy" - saving of ₹2415909 lakhs (against the sanctioned provision of ₹95500.00 lakhs) was due to non-submission of claims and associated documents by developers of Wind Power Projects under Wind Generation Based Incentive Scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) "Support Programme" - saving of ₹9284.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22465.00 lakhs) was due to non-receipt of documents from programme implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) "Hydrogen Mission" - saving of ₹29688.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29700.00 lakhs) was due to non-approval of various schemes under the National Green Hydrogen Mission (NGHM) and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(f) "Storage and Transmission" - saving of ₹7841.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from states and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास" – ₹1235.00 लाख की बचत (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पवन कार्यक्रम की अधिसूचना में देरी और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(B) "Research, Design and Development in Renewable Energy-Autonomous Bodies" - saving of ₹1235.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs) was due to delay in notification of Wind Programme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(क) "सौर ऊर्जा" – ₹39604.33 लाख की बचत (₹62900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से कम दावें प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "जैव ऊर्जा कार्यक्रम" – ₹1400.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा

(ग) "पवन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम" – ₹1487.10 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Solar Energy" - saving of ₹39604.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62900.00 lakhs) was due to receipt of less claims from state implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Bio Energy Programme" - saving of ₹1400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(c) "Programme for Wind and other Renewable Energy" - saving of ₹1487.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs);

(घा) "आदिवासी क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "जैव ऊर्जा कार्यक्रम" – ₹624.29 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा

(ख) "पवन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम" – ₹5379.00 लाख की बचत (₹15500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Bio energy Programme" - saving of ₹624.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs); and

(b) "Programme for Wind and other Renewable Energy" - saving of ₹5379.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15500.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानित स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "सौर ऊर्जा" – ₹39977.57 की बचत (₹64400.00

(c) "Solar Energy" - saving of ₹39977.57

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से दावे/पूर्णता दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुआ।

(against the sanctioned provision of ₹64400.00 lakhs) was due to non-submission of claims/completion documents from the state implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) "भंडारण और संचरण" – ₹843.93 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(d) "Storage and Transmission" - savings of ₹843.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the states.

(ड़) "आरक्षित निधि में स्थानांतरण – सॉवरेन ग्रीन फंड" – ₹139116.00 लाख की बचत (₹750746.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(E) "Transfer to Reserve Funds - Sovereign Green Fund" - savings of ₹139116.00 lakhs (against the provision of ₹750746.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹627.97 लाख) फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹550.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और कुल स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत थी।

2. In the capital section of the grant, the overall saving (₹627.97 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹550.00 lakhs obtained in February, 2024 and constituted 37 percent of the total sanctioned provision.

निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुई:–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4810"	Major Head "4810"				
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on New and Renewable Energy				
मू.	O.	500.00			
		550.00	819.83	819.83	..
पु.	R.	-230.17			

(I) "नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम एवं अनुप्रयोग – कार्यालय भवन" के अंतर्गत ₹500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹550.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1150.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम धनराशि की आवश्यकता के कारण ₹230.17 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(I) Under "New and Renewable Energy Programmes and Applications - Office Buildings" - the original provision of ₹500.00 lakhs was augmented to ₹1150.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹550.00 lakhs which, however remained unutilized to the extent of ₹230.17 lakhs - due to requirement of less funds by Central Public Works Department.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹397.80 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of ₹397.80 lakhs occurred constituting 60 percent of the sanctioned provision.